समाहरणालय, खूँटी

(समेकित जनजाति विकास अभिकरण, खूँटी)

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

खूँटी जिलान्तर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2019–20 में खाद्यान्न सामग्रियों की आपूर्ति हेतु दिनांक 15.03.2019 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक समेकित जनजाति विकास अभिकरण कार्यालय, खूँटी में मुहरबंद निविदा आमंत्रित की किये जाते हैं। निविदा उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, खूँटी (ITDA) के कार्यालय कक्ष (समाहरणालय भवन, खूँटी, ''ए'' ब्लॉक, कमरा नं0 – 01) में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। आपूर्ति से संबंधित सामग्रियों की सूची एवं निविदा से संबंधित शर्त्तों को आई0टी0डी0ए0 कार्यालय, खूँटी के सूचना पट्ट एवं खूँटी जिला के वेबसाईट www.khunti.nic.in पर देखा जा सकता है।

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0, खूँटी।

समाहरणालय, खूँटी

(समेकित जनजाति विकास अभिकरण, खूँटी)

खूँटी जिलान्तर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2019–20 में खाद्यान्न सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदा की शर्त्तें :–

1. निविदादाताओं को निविदा के साथ अग्रधन के रूप में जिला कल्याण पदाधिकारी, खूँटी के पदनाम से राशि – 2,00,000.00 (दो लाख) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।
2. निविदा में सभी कर SGST/CGST सहित सामग्रियों का दर अंकित करना होगा, अलग से किसी तरह का कर देय नहीं होगा।
3. निविदा के साथ सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत पैन नंबर, GSTIN नंबर विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. निविदा में प्रत्येक सामग्री का एक दर ही अंकित करना होगा तथा एक ही नमूना देना होगा। एक से अधिक दर या नमूना स्वीकार्य नहीं होगा।
5. निविदादाता को एक शपथ पत्र देना होगा कि उनका फर्म काली सूची में दर्ज नहीं है।
6. तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग–अलग लिफाफे में देना होगा, तकनीकी बीड सही पाये जाने पर ही वित्तीय बीड खोला जाएगा।
7. शर्तयुक्त निविदा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
8. स्वीकृत निविदादाता को आपूर्ति आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर सामग्रियों को विद्यालय में पहूँचाकर आपूर्ति करना होगा जिसके लिए अलग से किसी तरह का परिवहन व्यय या पैकिंग चार्ज देय नहीं होगा।
9. सामग्रियों की आपूर्ति के विरूद्ध विपत्र का भुगतान आवंटन की उपलब्धता पर ही की जायगी, इसके विलम्ब होने पर किसी तरह का हर्जाना या भरपाई का दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
10. सब्जी आदि को छोड़कर अन्य भंडारण योग्य सभी सामग्रियों का नमूना निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
11. खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में एक बार करनी होगी।
12. फल / सब्जियां / दुध / पनीर इत्यादि अनिवार्य रूप से ताजी होनी चाहिए।
13. विभागीय निदेश एवं आवश्यकता अनुरूप ही आपूर्ति आदेश निर्गत किया जायेगा।
14. बिना कारण बताये सभी या किसी भी निविदा को रद्द करने या स्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

2/3/2019

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0, खूँटी।